न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 94 / 2022

श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र गौरीशंकर पाण्डेय आर्य समाज के पास कस्बा भुसावर जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भुसावर

.............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 7.12.2022

अपीलार्थी श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र गौरीशंकर पाण्डेय आर्य समाज के पास कस्बा भुसावर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भुसावर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 876 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी का जबाब पत्र क्रमांक / आर.टी.आई. / 2022 / 501 दिनांक 05.12.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावाली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी को सूचना से सम्बन्धित खसरा नम्बर अंकित करने के लिये अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक / सू.अ.अ. / 2022 / 472 दिनांक 10.11.2022 से सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलार्थी / प्रार्थी से अपेक्षा की जाती है वह लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारी (खसरा नम्बर वगे.) अवगत कराकर सूचना प्राप्त करें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बरान अवगत कराये जाने पर सूचना शीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध

................2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

करावें। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर